



DR. SHYAMA PRASAD MUKHERJEE UNIVERSITY

Ranchi, Jharkhand.

OFFICE OF THE
REGISTRAR

कार्यालय आदेश

यह सूचित किया जाता है कि वर्तमान में विश्वविद्यालय में अनेक महत्वपूर्ण अकादमिक एवं प्रशासनिक गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं, जिनमें नामांकन प्रक्रिया, कक्षाओं का संचालन तथा परीक्षाओं का आयोजन प्रमुख हैं।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट किया जाता है कि माननीय कुलपति महोदय के पूर्व आदेश के बिना विश्वविद्यालय परिसर में किसी भी प्रकार का प्रदर्शन, धरना, तालाबंदी आदि कृत्य अनुशासनहीनता की श्रेणी में आएंगे, जिसके लिए संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध विधिक एवं प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रदत्त निदेशानुसार, नामांकन प्रक्रिया के दौरान केवल संबंधित विद्यार्थी स्वयं ही अपने मूल प्रमाणपत्रों की जांच एवं सत्यापन हेतु संबंधित विभाग में उपस्थित होंगे। अन्य किसी व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

यदि किसी विद्यार्थी को किसी प्रकार की कठिनाई होती है, तो वे छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष अथवा संबंधित संकायाध्यक्ष से संपर्क कर सकते हैं।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

कुलपति के आदेशानुसार,

ह०-
कुलसचिव

Memo No. : DSPMU/G/438/25

Date : 21/07/2025

प्रतिलिपि:

1. सम्बन्धित व्यक्ति।
2. सभी विभागाध्यक्ष, निदेशक, समन्वयक, सह-समन्वयक, डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, राँची।
3. संकायाध्यक्ष, छात्र कल्याण, डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, राँची।
4. कुलानुशासक (इन्चार्ज), डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, राँची।
5. परीक्षा नियंत्रक, डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, राँची।
6. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक को कुलपति एवं कुलसचिव के सूचनार्थ।
7. वेबसाइट इंचार्ज, वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ हेतु।

Shyamini
21/07/25
कुलसचिव
डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, राँची।
21/07/25